न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 19 / 2020
दायर दिनांक : 06.07.2020

उनवान

1. भगवानी पुत्री लादूलाल जाट निवासी हिंगवानिया तहसील माण्डलगढ।
2. लाडू पुत्री लादूलाल जाट निवासी हिगवानिया तहसील माण्डलगढ।
3. शंकरलाल पिता मांगू जाट निवासी हिगवानिया तहसील माण्डलगढ।
4. शांति पत्नि लादूलाल जाट निवासी हिगवानिया तहसील माण्डलगढ।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. नाथूसिंह पिता किशोरसिंह राजपूत निवासी हिंगवानिया तहसील माण्डलगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा।

—अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री सांवरमल रेबारी (अधिवक्ता प्रार्थीगण)
2. श्री महेशचन्द्र सुखवाल (अधिवक्ता अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 12.02.2021

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हिंगवानिया पटवार हल्का धाकड़खेड़ी में स्थित भूमि आराजी संख्या 266 पर पैदल सजबैल ट्रेक्टर से आने जाने का रास्ता ग्राम हिंगवानिया के आराजीनम्बर 203 जो कि रेकार्डेड रास्ता है जिसमें से होकर आहता चाह नम्बर 201 जो कि प्रार्थीगण व विपक्षी का सामलाती शामिल रास्ता है। उक्त चाह नम्बर 201 के पूर्वी मेर में होकर अपनी आराजीनम्बर 266 की पूर्वी मेर पर पहुँचते है। उक्त रास्ता मौके पर 15 से 20 फीट चौड़ा रास्ता का वर्षो से प्रार्थीगण उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। परन्तु दिनांक 16.05.2020 को विपक्षी ने प्रार्थीगण को आराजीनम्बर 265 के पूर्वी मेर पर रास्ते को बन्द कर दिया जिससे प्रार्थी को अपनी जमीन पर आने जाने में कठिनाई हो रही है। उक्त रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड में अंकित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थीगण नियमानुसार डी.एल.सी. दर जमा कराने को तैयार है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 265 पर 15 फीट चौड़ा रास्ता घोषित किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज किया जाकर जरिये सम्मन अप्रार्थीगणों को तलब किया गया। दिनांक 23.10.2020 को अधिवक्ता महेश चन्द्र सुखवाल द्वारा उक्त प्रकरण में जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। मामले में वर्णित तथ्य गलत होकर अस्वीकार है। विपक्षीगण की खातेदारी जमीन पर पहुचॅने का रास्ता ग्राम हिंगवानिया से निकलकर सरकारी रास्ता आराजीनम्बर 203 में होकर आराजीनम्बर 193 में होकर आराजीनम्बर 194 की दक्षिणी मेर से होकर आहता चाह [illegible] आहता चाह नम्बर 192 से आराजीनम्बर 199 की उत्तरी मेर पर होकर आराजीनम्बर [illegible] पहुँचता है। आराजीनम्बर 193,192,199,202,200 के खातेदारान आरा[illegible] दिशा में स्थित अपनी आराजियात और आराजीनम्बर 199 की पश्चिमी [illegible] 198 के मध्य होकर आराजीनम्बर 279 की उत्तरी मेर पर होकर आते [illegible] रास्ते से आराजीनम्बर 279 की उत्तरी मेर पर पहुँचकर आराजीनम्बर 266 पर पहुँचते है। प्रार्थी[illegible] यदा कदा आराजीनम्बर 266 पर आराजीनम्बर 200 की पूर्वी मेर पर होकर आते जाते है। यह गलत है कि दिनांक 16.05.2020 को प्रार्थीगण के कथित रास्ते में अवरोध पैदा किया हो मौके पर वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्य खारीज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah C
Date: 2021.03.04 16:53:34
Reason: SelfAttested

दिनांक 25.10.2020 विपक्षीगणों की और से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी का पेश कर निवदेन किया कि प्रार्थीगण का कथन रहा है कि विवादित रास्ते का प्रार्थीगण पीढी दर पीढी उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। विपक्षी ने दिनांक 16.05.2020 को आराजीनम्बर 265 के पूर्वी मेर पर रास्ते को बन्द कर दिया प्रार्थीगण के खाते की आराजी पर आ

जा नही रहे है। प्रार्थीगण रास्ता घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा है। धारा 251 ए रा0टि0ए0 का प्रावधान है कि कोई अभिधारी या अभिधारियो का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतो के पहुँच के लिए अन्य खातेदार की जोत मे से होकर नया मार्ग बनाना चाहता या विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है तो प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी महोदय को पेश कर राहत पा सकता है। पीढी दर पीढी के उपयोग उपभोग के रास्ते को बन्द किये जाने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 रा0टि0ए0 तहसीलदार या सम्बन्धित ग्राम पंचायत में पोषणीय है। उपखण्ड अधिकारी महोदय के यहा प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है। उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के श्रवणाधिकार क्षैत्राधिकार में नही होने से खारीज किये जाने योग्य है। रास्ते की घोषणात्मक आज्ञा का वादपत्र प्रार्थना पत्र राजस्व न्यायालयो के श्रवणाधिकार क्षैत्राधिकार में नही होकर सिविल न्यायालय को सुनवाई का अधिकार है। रा0टि0ए0 की अनुसूची तृतीय में रास्ते की घोषणा की आज्ञा वादपत्र प्रार्थना पत्र सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालयों को नही है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र रिजेक्ट किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

दिनांक 18.01.2021 को तहसीलदार माण्डलगढ़ के पत्र क्रमांक कोर्ट/2021/111 दिनांक 15.01.2021 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम हिंगवानिया पटवार हल्का धाकड़खेड़ी की आराजी संख्या 266 पर पहुंचने के लिये विपक्षीगण के आराजी संख्या 265 में से 20 फीट चौड़ा रास्ते हेतु मांग किया है। प्रार्थीगण की आराजी 266 पर पहुँचने के लिए अप्रार्थी की आराजीनम्बर 265 में 18 फीट चौड़े रास्ते हेतु मांग किया है। प्रार्थी के आराजी पर पहुंचने के लिये मांगा गया रास्ता लघुतम है। उक्त आराजी पर पहुँचने के लिए सरकारी तथा अन्य रास्ता नही है। भूमि पर पहुँचने के लिए अप्रार्थी के खाते की भूमि आराजीनम्बर 265 में 0.081 हैक्टर भूमि रास्ते के उपयोग में ली जायेगी। रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली 1 बिस्वा भूमि का उपयोग होगा जिसमें खातेदारी हक में भूमि का वैकल्पिक रास्ता हेतु उपयोग होगा जिसकी की वर्तमान डी.एल.सी. दर 66629 रूपये प्रति बीघा सिंचित से खातेदारी भूमि का 3332 रूपये दुगुनी दर 6664 रूपये है। पक्षकारान को जरिये सूचना पत्र के सूचित किया गया। प्रतिवादी नाथू सिंह पिता किशोर सिंह राजपूत उपस्थित है तथा हस्ताक्षर है।

दिनांक 12.02.2021 पत्रावली पेश हुई। हमने सर्वपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली मे संलग्न दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074–77, जमाबन्दी सम्वत 2076–2020 दिनांक 18.01.2021 को तहसीलदार माण्डलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत करवाया गया कि प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए आराजी नम्बर 265 से प्रार्थी निकलते है प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए उनके द्वारा मांगा गया रास्ता लघुतम है। विपक्षी की खाते की 1 बिस्वा भूमि का उपयोग होगा जिसमें खातेदारी हक में भूमि का वैकल्पिक रास्ते उपयोग हेतु ली जावेगी। जिसकी डी.एल.सी. दर 66629 रूपये प्रति बीघा सिंचित से खातेदारी भूमि का 3332 रूपये दुगुनी दर 6664 रूपये है। उक्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–ए (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एवं संशोधित अधिसूचना नम्बर F3(2) rev.6/03/pt./7 दिनांक 02.03.2012 नियम 70 (1)(।।) () के अनुसरण में ग्राम हिगवानिया पटवार हल्का धाकड़खेडी तहसील माण्डलगढ़ के आराजी संख्या 266 पर पहुंचने के लिये विपक्षी की ग्राम हिगवानिया पटवार हल्का धाकड़खेड़ी की आराजी संख्या 265 में से 01 बिस्वा भूमि का उपयोग होगा जिसमें खातेदारी हक में भूमि का वैकल्पिक रास्ते उपयोग हेतु ली जावेगी। विपक्षी के आराजियात में से रास्ता हेतु उक्त भूमि की डी.एल.सी. दर 66629 रूपये प्रति बीघा सिंचित से खातेदारी भूमि का 3332 बनती है। दुगुनी दर 6664 रूपये है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को अदा किये जाने पर एवं अप्रार्थी द्वारा इन्कार किये जाने की स्थिति में राजकोष में मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा करवाने पर गै.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता रहेगा। तहसीलदार माण्डलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता अंकन करावें।

आदेश आज दिनांक 12.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Utsah Cha
Date: 2021.03.04 16:53:34 IS
Reason: SelfAttested

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़